उद्योग स्थापित करने में सीए व सेवानिवृत्त बैंक अफसर करेंगे युवाओं की मदद

राज्य ब्यूरो, जागरण● लखनऊ : मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत उद्योग लगाने के लिए युवाओं को पांच लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण बिना गारंटी के मिलेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) व बैंकों के सेवानिवृत्त अफसर ऋण के आवेदन के लिए युवाओं की मदद करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश दिवस पर 24 जनवरी को अभियान का शुभारंभ करेंगे। योजना का लाभ लेने के लिए विभाग की वेबसाइट https://msme.up.gov.in पर आनलाइन आवेदन किया जा सकता है। युवाओं की सहायता के लिए वेबसाइट पर 400 परियोजना रिपोर्ट और लगभग 600 बिजनेस आइडिया भी दिए गए हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि युवाओं को उद्यमिता से जोड़ने के लिए विभाग की ओर से हर जिले में सीए और सेवानिवृत्त बैंक अधिकारियों को तैनात किया गया है।